न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 12/2021
GCMS NO. : 2021/26

–: प्रार्थीगण :–

1. भींयाराम पुत्र पोकरराम
2. भभूतराम पुत्र पोकरराम
3. हापुडी बेवा पोकरराम जाति जाट निवासी फालका तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. घेवरराम पुत्र प्रताप
2. रतनाराम पुत्र प्रताप
3. दीनाराम पुत्र प्रताप
4. चेनाराम पुत्र बगदाराम
5. लखाराम पुत्र बगदाराम
6. झणकारी पत्नी बगदाराम
7. नाथूराम पुत्र शकूर
8. जगदीश पुत्र पूसाराम
9. श्रवण पुत्र पूसाराम जातियान मेघवाल
10. तुलछाराम पुत्र रामपाल
11. अमराराम पुत्र रामपाल फौत के कायम मुकाम
    - 11.1 गोविन्द पुत्र अमराराम
    - 11.2 रामेश्वरी पत्नी अमराराम
12. पोकरराम पुत्र भंवरू फौत के कायम मुकाम
    - 12.1 नाथू पुत्र पोकरराम
    - 12.2 सोहनी बेवा पोकरराम
13. बाबू पुत्र भंवरू
14. दीनाराम पुत्र मोहन
15. धन्नाराम पुत्र मोहन जातियान बावरी निवासीगण फालका तहसील जैतारण जिला पाली।
16. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व **प्रार्थना पत्र** बाबत् अस्थाई **निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी** अधिनियम,1955 **तारीख रजू:–03.02.2021**

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री किशोर कुमावत, श्री अरूणसिंह राठौड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः–30/06/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा फालका पटवार हल्का फालका तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 890 क्षैत्रफल 9–19 बीघा, खसरा संख्या 890/1 रकबा 9–19 बीघा, खसरा संख्या 890/2 रकबा 9–19 बीघा आई हुई आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जो राजस्व रेकर्ड में अलग अलग है परन्तु मौके पर तीनो ही प्रार्थीगण आराजी मासलाती है एवं तीनो प्रार्थीगण उक्त आराजी का संयुक्त रूप से काबिज होकर के काश्त करते चले आ रहे है नकल जमाबंदी के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो सरहद मौजा फालका मे

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

आई हुई है इस जमीन के पूर्व दिशा में बलून्दा से फालका जाने वाला रास्ता जो राजस्व रेकर्डेड रास्ता है और इस रास्ते के पास में खसरा संख्या 892 व उसके पश्चात खसरा संख्या 891 की भूमि है जो भूमि अप्रार्थीगण की है तथा इन दोनो खसरो के अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा इन दोनो खसरो के पश्चात पश्चिमी दिशा में प्रार्थीगण की आराजी आई हुई है। प्रार्थीगण बलून्दा से फालका जाने वाले रास्ते से होकर के खसरा संख्या 891 व 892 जो अप्रार्थीगण की भूमि में उसमें से होकर के अपनी आराजी में आते जाते रहते एवं अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते है नकल जमाबंदी खसरा संख्या 891 व 892 की प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थीगण वर्षो से अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने के लिए एवं अपनी भूमि में काश्त के मुतालिक तमाम कार्य जैसे खड़ाई बुवाई कटाई आदि करने हेतू अपने साधन जैसे ट्रैक्टर हल बैल या अन्य कृषि औजार या मजदूर साधन आदि को अपनी भूमि में ले जाने हेतू खसरा संख्या 891 व 892 की भूमि में चल रहे रास्ते से आते जाते एवं अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते है, खसरा संख्या 891 व 892 में जो रास्ता चल रहा था वह वर्षो से चला आ रहा था, परन्तु खसरा संख्या 891 व 892 में से होकर के गुजरने वाले रास्ता जो प्रार्थीगण की भूमि में जाता था वह रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही था केवल मात्र मौके पर रास्ता चलता और उसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते और प्रार्थीगण के साथ अन्य आस पास की भूमियो के लोग भी करते थे प्रार्थीगण की भूमि में जाने का जो रास्ता पूर्व में चल रहा था और अब प्रार्थीगण को जो रास्ता चाहिए वह रास्ता नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते के रूप में दर्शाया गया है जो खसरा संख्या 891 व 892 की भूमि में से लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है जो मार्क ए से बी है नकल नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतू जो रास्ता खसरा संख्या 891 व 892 में से होकर गुजर रहा था उस रास्ते को दिनांक 28.12.2020 को अप्रार्थीगण ने बंद कर दिया एवं रास्ते के भू भाग पर भी अप्रार्थीगण ने खड़ाई कर दी एवं सड़क के पास में अप्रार्थीगण ने खन्दक लगाकर के रास्ते के आलामात को खूर्द बूर्द कर रास्ते को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के इस गैरकानूनी कृत्य बाबत् मना किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही है एवं अब हम यहाँ से गुजरने नही देगे और आप प्रार्थीगण भविष्य में यहां से कोई रास्ता बनाने की कोशिश मत करना। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया व समझाईस की और रास्ते के बदले जमीन भी देने को कहा परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे और रास्ता नही दिया तथा न ही प्रार्थीगण को उनकी आराजी में जाने दिया जबकि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने के लिए नजरी नक्शे में वर्णित प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोइ अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। इससे प्रार्थीगण के समक्ष अपनी आराजी में जाने का रास्ता उत्पन्न हो गई क्योकि कोई दुसरा वैकल्पिक रास्ता नही होने से प्रार्थीगण अपनी आराजी में काश्त नही कर सकते है बुवाई नही कर सकते है। नजरी नक्शे मे जो प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है वह प्रार्थीगण की आराजी में जाने का सुलभ व निकटतम रास्ता है इसलिए नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते को जो प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आराजी में जाने का दर्शाया गया है उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने एवं मौके पर प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

को अपनी आराजी में जाने हेतू रास्ता कायम करने हेतू यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान के समक्ष पेश है। अप्रार्थीगण द्वारा 28.12.2020 को प्रार्थीगण की आराजी में जाने हेतू रास्ता बंद कर देने से अब प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में जाने हेतू कोई वैकल्पिक रास्ता नही है और न ही अप्रार्थीगण रास्ता देने को तैयार है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने जाने काश्त करने हेतू खसरा संख्या 891 व 892 के भू भाग में से नजरी नक्शे में वर्णित प्रस्तावित रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित कर 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे तथा रास्ते के भू भाग में जाने वाली जमीन का रकबा तय किया जावे एवं उस रकबे को डी एल सी रेट है उसकी दुगनी राशि प्रार्थी जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है। मौके पर रास्ता खुलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग से सावर्जनिक रास्ता का इन्द्राज किया जावे एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी ग्राम फालका में स्थित है जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद निर्धारित न्याय शुल्क पर श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 4, 7 व 8 की ओर से वकील किशोर कुमावत तथा अप्रार्थीगण संख्या 9 की ओर वकील अरूणसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4, 7, 8 व 9 जवाब पेश नही करना चाहते है अतः जवाब अवसर बंद किया जाता हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3, 5, 6, 10 से 15 को बार बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार जैतारण व भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2022/410 दिनांक 12.05.2022 द्वारा चाही गई थी, भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू ने अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 27.06.2022 को पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 890, 890/1 तथा 890/2 में जाने हेतू वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतू रास्ता की आवश्यकता आत्यधिक है। प्रार्थीगण की आराजी की पहुंच के लिए तीन विकल्प है– विकल्प–1. मार्क ए से बी खसरा संख्या 891 व 892 की दक्षिणी माठ से सटता हुआ है। उक्त रास्ते की प्रस्तावित लम्बाई खसरा संख्या 891 में 86 मीटर तथा खसरा संख्या 892 में 267 मीटर है जिसकी कुल लम्बाई 353 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है जिसका रकबा 0.2118 हैक्टर है जो कि खातेदारी भूमि है। विकल्प–2. मार्क सी डी ई एफ प्रस्तावित रास्ता जिसकी कुल लम्बाई [illegible] मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है जो खसरा संख्या 896 में से 0.037[illegible] हैक्टर [illegible] से 0.0724 हैक्टर तथा खसरा संख्या 893 में से 0.1652 हैक्टर कुल रकबा 0.2750 हैक्टर है, जो खातेदारी भूमि है। विकल्प–3. मार्क जी से एच [illegible]तावित रास्ते की कुल लम्बाई 392 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है जो खसरा संख्या 887 में से 0.1146 हैक्टर तथा खसरा संख्या 889 में से 0.1206 हैक्टर कुल रकबा 0.2352 हैक्टर है। उपरोक्त तीनो विकल्पो में प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली पड़ी है किसी भी प्रकार का निमार्ण नही है। प्रथम विकल्प की लम्बाई 353 मीटर, दूसरे विकल्प की लम्बाई 458 मीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तथा तीसरे विकल्प की लम्बाई 392 मीटर है अतः प्रथम विकल्प न्युनतम एवं निकटतम दूरी पर है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन करते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार जैतारण व भू. अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू की तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का अध्ययन करते हुए अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवेचन एवं निणर्यन निम्नानुसार है–

1. प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फालका तहसील जैतारण में स्थित प्राथीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 890 क्षेत्रफल 9-19 बीघा, खसरा संख्या 890/1 रकबा 9-19 बीघा, खसरा संख्या 890/2 रकबा 9-19 बीघा तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण की आराजी के पूर्व दिशा में बलून्दा से फालका जाने वाला रेकर्डेड रास्ता इस रास्ते के लगते/चिपते ही अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 892 व 891 आराजी है जो प्रार्थीगण की आराजी से लगती है। अतः बलून्दा से फालका जाने वाला रेकर्डेड रास्ता से प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में से 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रदान किया जावे, जिसके लिए प्रार्थीगण राशि भुगतान करने के लिए तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए रास्ता स्वीकृत फरमावे।

2. अप्रार्थीगण संख्या 4, 7, 8 व 9 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने से जवाब बंद किया गया। दीगर अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार जैतारण से तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 27.06.2022 को भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया। भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन, मौका रिपोर्ट मय टीआरए रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 890, 890/1 तथा 890/2 तक आगमन के लिए वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता नही है। प्रार्थी की रास्ता बाबत् मांग आत्यंतिक है। प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 890, 890/1 तथा 890/2 तक पहुंच के लिए तीन विकल्प प्रस्तावित है–

1. प्रथम विकल्प– खसरा संख्या 892 व 891 में से मार्क ए से बी 353 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका रकबा 0.2118 हैक्टर अर्थात 2118 वर्गमीटर है।

2. द्वितीय विकल्प– खसरा संख्या 896, 895 व 893 में से मार्क सी डी ई एफ तक 458 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 0.2750 हैक्टर अर्थात 2748 वर्गमीटर है, जो खसरा संख्या 8[illegible] में से 0.0374 हैक्टर, खसरा संख्या 895 में से 0.0724 हैक्टर तथा खसरा संख्या 893 में से 0.1652 हैक्टर है।

3. तृतीय विकल्प– खसरा संख्या 887 व 889 में से मार्क जी से एच 392 मीटर लम्बा तथा 6 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 0.2352 हैक्टर अर्थात 2352

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वर्गमीटर है, जो खसरा संख्या 887 में से 0.1146 हैक्टर तथा खसरा संख्या 889 में से 0.1206 हैक्टर है।

उपर्युक्त तीनो प्रस्तावित विकल्पो की भूमि मौके पर खाली पड़ी है। किसी प्रकार का निर्माण नही है। प्रस्तावित तीनो विकल्पो में दूरी व रकबा अनुसार प्रथम विकल्प न्युनतम एवं निकटतम है अतः प्रथम विकल्प को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करना विधिसंगत एवं उचित होगा।

4. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः–

251– क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहां

(क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लद्युतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में [illegible] निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में [illegible] अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

5. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी जोत तक पहुंच के लिए अभिलिखित रास्ता प्रदान करने की, की गई मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 890, 890/1 तथा 890/2 तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नही है। यह उपलब्ध भू नक्शा तथा तहसीलदार जैतारण की ओर से प्रेषित जांच प्रतिवेदन से सुस्पष्ट है। अतः प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के लिए पहुंच मार्ग की मांग नही की गई है। भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रस्तावित प्रथम विकल्प खसरा संख्या 988 गैर मुमकिन रास्ता (बलून्दा से फालका जाने वाला रास्ता) से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 891 व 892 की खातेदारी भूमि में से मार्क ए से बी तक 353 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 0.2118 हैक्टर अर्थात् 2118 वर्गमीटर है जो कि खसरा संख्या 891 में से 86 मीटर लम्बा तथा 6 मीटर चौड़ा कुल रकबा 516 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 892 में से 267 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा कुल रकबा 1602 वर्गमीटर है, न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प होने के कारण स्वीकार योग्य है।

6. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 3,72,956/- रूपये प्रति हैक्टर अर्थात 37.30 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसका कुल रकबा 0.2118 हैक्टर अर्थात् 2118 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 3,72,956/- रूपये प्रति हैक्टर अर्थात 37.30 रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 74.60 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 0.2118 हैक्टर अर्थात् 2118 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि खसरा संख्या 891 की प्रभावित आराजी 516 वर्गमीटर के अप्रार्थीगण खातेदारान् के लिए 38,500/- (अक्षरे अड़तीस हजार पॉच सौ रूपये) व खसरा संख्या 892 की प्रभावित आराजी 1602 वर्गमीटर के अप्रार्थीगण खातेदारान् के लिए 1,19,600/- (अक्षरे एक लाख उन्नीस हजार छः सौ रूपये) अर्थात कुल 1,58,100/- रूपये (अक्षरे एक लाख अठावन हजार एक सौ रूपये मात्र) निर्धारित की जाती है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थी की जोत तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 988 गैर मुमकिन रास्ते (बलून्दा से फालका जाने वाला रास्ता) से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 891 व 892 की भूमि में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 890/1 की सीमा तक पहुंच के लिए भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू की मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 891 व 892 की आराजी में से मार्क ए से बी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो खसरा संख्या 891 में से 86 मीटर लम्बा तथा 6 मीटर चौड़ा कुल रकबा 516 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 892 में से 267 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा कुल रकबा 1602 वर्गमीटर कुल रकबा 2118 वर्गमीटर है, को प्रभावित खसरान् के रकबे में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना तथा इसका प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 1,58,100/- रूपये में से खसरा संख्या 891 के खातेदारान् के लिए निर्धारित प्रतिकर राशि 38,500/- रूपये तथा खसरा संख्या 892 के खातेदारान् के लिए निर्धारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिकर राशि 1,19,600/- रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् को प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम फालका तहसील जैतारण जिला- पाली राज0 के खसरा नम्बर 890 क्षैत्रफल 9-19 बीघा, खसरा संख्या 890/1 रकबा 9-19 बीघा, खसरा संख्या 890/2 रकबा 9-19 बीघा की जमीन तक पहुंच मार्ग के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 988 गैर मुमकिन रास्ते (बलून्दा से फालका जाने वाला रास्ता) से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 891 व 892 में से मार्क ए से बी जो कि खसरा संख्या 891 में से 86 मीटर लम्बा तथा 6 मीटर चौड़ा कुल रकबा 516 वर्गमीटर तथा खसरा संख्या 892 में से 267 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा अर्थात कुल 353 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा कुल रकबा 2602 वर्गमीटर कुल रकबा 0.2118 हैक्टर अर्थात 2118 वर्गमीटर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थीगण खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा सिवाय चक भूमि एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 0.2118 हैक्टर अर्थात 2118 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 1,58,100/- रूपये (अक्षरे एक लाख अठावन हजार एक सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि में से खसरा संख्या 891 के प्रभावित अप्रार्थीगण खातेदारान् के लिए 38,500/- (अक्षरे अड़तीस हजार पॉच सौ रूपये) व खसरा संख्या 892 के प्रभावित अप्रार्थीगण खातेदारान् के लिए 1,19,600/- (अक्षरे एक लाख उन्नीस हजार छः सौ रूपये) रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् के मध्य रकबा व हिस्से के अनुपात में भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदारान् द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में रास्ता अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भु अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू द्वारा तैयार दिनांक 12.05.2022 की फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:29:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/06/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)